(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/खरगौन/भू.रा./2018/233 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.09.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 4/अपील/2016-17.

---

1. मोतीराम पिता श्री हीराजी गुर्जर
2. कड़वा पिता श्री हीराजी गुर्जर
3. सेवकराम पिता श्री गंगाराम गुर्जर

तीनों निवासी ग्राम बोरूठ, तहसल भीकनगांव
जिला खरगौन, म.प्र. .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

कमलाबाई तथाकथित पिता श्री बाबू
निवासी ग्राम देवलामाफी, तहसील खण्डवा
जिला खण्डवा, म.प्र. .....प्रत्यर्थी

श्री दशरथ धोड़के, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री हरीश पवार, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/18 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 25.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बोरूठ तहसील भीकनगाव स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 506 रकबा 12.260 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 593 एवं 594 रकबा 0.077 हैक्टेयर एवं सर्वे

क्रमांक 506/803 रकबा 0.109 हैक्टेयर प्रत्यर्थी कमलाबाई पिता बाबू एवं अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 तथा अपीलार्थी क्र. 3 के पिता गंगाराम, काका लक्ष्मण के संयुक्त नाम से राजस्व अभिलेख में वर्ष 1993-94 तक अंकित रही है। उक्त भूमि का बंटवारा नामांतरण पंजी क्र. 34 में अपीलार्थी क्र. 1, 2 व 3 के पिता गंगाराम के नाम आदेश दिनांक 04.04.1994 से दर्ज किया गया तथा ग्राम पंचायत बोरूठ के प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 3 दिनांक 19.04.2002 एवं प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 57 दिनांक 11.03.2003 के आधार पर प्रत्यर्थी का नाम प्रश्नाधीन भूमि से कम कर अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त नामांतरण पंजी क्र. 34 व प्रस्ताव ठहराव 3 व 57 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी दिनांक से प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भीकनगांव के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त अपील आवेदन के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 55/अपील/2015-16 दर्ज कर दिनांक 08.09.2016 को आदेश पारित कर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन निरस्त करते हुए अपील समयावधि बाह्य होने से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25.09.2017 को अपील स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी का नाम प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में पूर्ववत अंकित करने का आदेश पारित किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रत्यर्थी बाबू पिता श्री नारायण की पुत्री नहीं हैं, बाबू पिता नारायण की एकमात्र पुत्री कमलाबाई का निधन 02 वर्ष की अल्पायु में लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रत्यर्थी अपने आपको तथाकथित रूप से बाबू की पुत्री होना बता रही है और प्रत्यर्थी ग्राम बोरूठ, तहसील भीकनगांव जिला खरगौन की निवासी भी नहीं हैं। इस बात की पुष्टि ग्राम पंचायत बोरूठ द्वारा दिनांक 04.12.2017 को प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर होती है, जिसकी पुष्टि ग्राम के पंचों द्वारा दिनांक 01.12.2017 के पंचानामे से भी होती है। पंचनामे में वर्णित विवरण अनुसार बाबू पिता नारायण की पुत्री प्रत्यर्थी नहीं है। प्रत्यर्थी की माता अजोध्याबाई ने षड़यंत्रपूर्वक उसके प्रथम पति से उत्पन्न पुत्री को तथाकथित कमलाबाई बताकर नामांतरण करवा लिया और दिनांक

24.04.1994 के बंटवारा आदेश में तथाकथित रूप से प्रत्यर्थी का नाम कम नहीं किया जाकर प्रत्येक हिस्से पर दर्ज कर दिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण था।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी द्वारा वर्तमान में जीवित धनाजी के पौत्र लक्ष्मण के अन्य वारिसगण को पक्षकार नहीं बनाया, जिनके नाम श्रीमती माया बेवा आत्माराम व पुत्र दुर्गेश इसी प्रकार बसंतीबाई पति छोंगालाल एवं पुत्र योगेश हैं, जो खाताधारक हैं, जिनको पक्षकार बनाये बगैर अपील प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लक्ष्मीबाई, राघवराम, मांगीलाल, रामचन्द्र एवं अन्य के मुख्य परीक्षण भी प्रस्तुत हुए थे, जिनका प्रतिपरीक्षण हुए बगैर आदेश पारित किया गया।

(3) प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 21.06.2016 का प्रमाण पत्र उक्त सभी तथ्यों को छुपाकर तैयार करवाया है, जबकि इस आशय का प्रमाण पत्र पंचायत के लेटरपेड पर जारी किया जाता है और प्रस्तुत प्रमाण पत्र में प्रत्यर्थी कमलाबाई के द्वारा अपीलार्थी की कृषि भूमि को हड़पने के उद्देश्य से अपने आपको बापू की पुत्री होना बताया, जबकि वास्तव में कमलाबाई अपनी माता अजोध्याबाई के पूर्व पति की पुत्री हैं।

अतः उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील असत्य एवं मनगढ़ंत आधारों पर प्रस्तुत की गई है, जबकि ग्राम बोरूठ तहसील भीकनगांव जिला खरगौन स्थित प्रश्नाधीन भूमि प्रत्यर्थी की भी पैतृक संपत्ति है, जो कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वंशावली में भी स्पष्ट रूप से यह दर्शित की गई है कि प्रत्यर्थी स्व. बाबू की पुत्री हैं तथा प्रत्यर्थी की माता का विवाह स्व. बाबू के साथ हुआ था। इस बात का उल्लेख अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो के चरण 2 में स्पष्ट रूप से किया गया है, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी को स्व. बाबू की पुत्री मानने से इंकार कर रहे हैं। अपीलार्थीगण का यह कथन कि बाबू की पुत्री कमलाबाई का निधन अल्पायु में हो गया था तथा उसके उपरांत जब प्रत्यर्थी की माता अयोध्याबाई का विवाह बाबू के साथ हुआ तो प्रत्यर्थी अयोध्याबाई के पहले पति की संतान थी, सर्वथा असत्य

है। अपीलार्थीगण द्वारा इस संबंध में किसी तरह का कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, कि अयोध्याबाई की संतान का नाम कमला था और बाबू की पुत्री का नाम भी कमलाबाई था। वास्तविकता में प्रत्यर्थी ही बाबू की एकमात्र जीवित वैधानिक संतान है, जो अपनी पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा प्राप्त करने के साथ-साथ राजस्व रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाने की पात्रता रखती हैं।

(2) अपीलार्थीगण द्वारा एक कूटरचित पंचनामा एवं प्रमाण पत्र दिनांक 01.12.2017 एवं दिनांक 04.12.2017 का तैयार करवाया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रचलित इस अपील में असत्य आधार बनाना तथा ग्रामवासियों को अपने साथ मिलाकर प्रत्यर्थी को उसके अधिकारों से वंचित करना मात्र है। यदि ऐसा कोई दस्तावेज अपीलार्थीगण के पास होता तो वह निश्चित रूप से वर्ष 2016 में जब तहसीलदार के समक्ष प्रकरण लंबित था, उसमें आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाता, किन्तु अपीलार्थीगण के द्वारा दो वर्ष की समयावधि पश्चात् उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना, दस्तावेज की प्रमाणिकता एवं वैधता पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है।

(3) अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं इस बात को स्वीकार किया गया है कि बाबू की पत्नि की मृत्यु उपरांत प्रत्यर्थी की माता ने बाबू से विवाह किया था, इस नाते भी यह तथ्य स्वीकृत है कि बाबू की मृत्यु उपरांत कमलाबाई बाबू की एकमात्र वैधानिक संतान हैं तथा बाबू की पैतृक संपत्ति में वैधानिक हिस्सा रखती हैं। इस कारण से भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होकर हस्तक्षेप एवं बदलाव योग्य नहीं है।

(4) अपीलार्थीगण का यह तर्क सर्वथा असत्य होकर अस्वीकार है कि अपीलार्थीगण को प्रकरण की जानकारी नहीं थी, जबकि वास्तविकता में अपीलार्थीगण मात्र अपर आयुक्त के निर्णय का इंतजार कर रहे थे, अपीलार्थीगण का यह कथन भी सर्वथा असत्य है कि अपीलार्थीगण को तहसीलदार का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई। इस कारण से भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से सुनवाई योग्य नहीं है।

अतः उनके द्वारा अपील निरस्त कर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है। तृतीय अपील होने से इसे निगरानी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश आवेदक पक्ष द्वारा नोट नहीं किया गया था। अत: प्रकरण समयसीमा में मान्य कर ग्राह्य किया जाता है। प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की गई। अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपने कर्तव्यों का पालन किये जाने में गंभीर लापरवाही बरती गई है तथा अवैध आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को सरसरीतौर पर समयावधि के बिन्दु पर ही निरस्त कर दिया गया है। जब कोई आवेदक यह कह रहा है कि वह सशरीर उपस्थित है तथा उसका कोई खण्डन न हो तो तो उस आवेदक से यह नहीं कहा जा सकता कि आप समय से नहीं आये, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध उसे मृत बताकर दिये आदेश अकृत एवं शून्य हैं। इस प्रकार अनावेदिका को मृत बताकर दिये गये आदेश जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं, को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई भूल नहीं की गई है। अत: अपर आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 का स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर